न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 21/2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थी**

1. लिछमणाराम पुत्र सवाराम
2. मीठालाल पुत्र कानाराम
3. लीलूदेवी पत्नि मीठालाल जातियान माली निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र माली प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 30.05.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 426/402 रकबा 0.0963 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/402 रकबा 2.1204 हैक्टेयर कुल रकबा 2.2167 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 39/54 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 खसरा संख्या 39/47 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 39/3 से विभाजन से नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिल्कुल विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 426/402 रकबा 0.0963 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/402 रकबा 2.1204 हैक्टेयर कुल रकबा 2.2167 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 39/54 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 खसरा संख्या 39/47 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 39/3 से विभाजन से नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 1318 दिनांक 21.05.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थी के खातेदारी का खसरा संख्या 426/402 रकबा 0.0963 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/402 रकबा 2.1204 हैक्टेयर कुल रकबा 2.2167 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 39/54 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 खसरा संख्या 39/47 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 39/3 से विभाजन से नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नक्शा लटठा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहे और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटठा में तरमीम नहीं हो रखी है, जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 426 / 402 रकबा 0.0963 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427 / 402 रकबा 2.1204 हैक्टेयर कुल रकबा 2.2167 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 39 / 54 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 खसरा संख्या 39 / 47 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 1318 दिनांक 21.05.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी